UPAU010008852026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–प्रथम,
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, औरैया
पीठासीन अधिकारीः–अतीक उद्दीन (एच0जे0एस0)
प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–335/2026

1– अवधेश मिश्रा पुत्र दिनेश मिश्रा,
निवासी–भीखमपुर, दुलिहा शाहपुर, श्रावस्ती, उ0प्र0।

..... प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

..... अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–97/2024
धारा–3(1) यू.पी. गैगस्टर एक्ट
थाना–ऐरवाकटरा, जिला–औरैया।
सी0एन0आर0 नं0–010008852026

दिनांक–16.03.2026

1– यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त अवधेश मिश्रा पुत्र दिनेश मिश्रा की ओर से मु0अ0सं0–97/2024 अन्तर्गत धारा–3(1) यू.पी. गैगेस्टर एक्ट थाना–ऐरवाकटरा, जिला–औरैया में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि जिला मजिस्ट्रेट औरैया से अनुमोदित गैंगचार्ट के आधार पर मु0अ0सं0–97/2024 के अनुसार अभियुक्त रियाज सिद्दीकी उर्फ मुन्ना पुत्र सरीफ निवासी ग्राम उमरैन थाना ऐरवाकटरा जनपद औरैया का एक संगठित गिरोह है, जिसका वह सरगना है। इस संगठित गिरोह के सक्रिय सदस्य अंकित पुत्र राजेश, दीपक पुत्र राजेश, सोभन पुत्र बलराम, अवधेश कुमार मिश्रा पुत्र दिनेश कुमार मिश्रा, रवी पुत्र बद्रीप्रसाद, जतिन पुत्र राजकुमार व आशीष मिश्रा पुत्र दिनेश मिश्रा हैं। इस गैंग लीडर व सदस्यों द्वारा एक साथ मिलकर फिरौती हेतु अपहरण व हत्या तथा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने जैसे संगीन घटनाओं को कारित करना मुख्य कार्य है। यह संगठित गिरोह गांव की भोली भाली जनता से अवैध धनोपार्जन करता है। गैंगलीडर स्वयं एवं अपने सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक एवं अन्य लाभ हेतु अपराध करते है। जनता के मध्य भय आतंक का माहौल व्याप्त है तथा सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस गिरोह का आपराधिक कार्य गिरोह बन्द अधिनियम की धारा–2(ख) की उपधारा 1 से आच्छादित

Digitally signed by ATEEQ UDDIN
Date: 2026.03.16 15:36:20 GMT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जो गिरोह बन्द एवं समाज विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा–3 (1) के अधीन दण्डनीय अपराध है।

3– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि–प्रार्थी निर्दोष है और पुलिस द्वारा कीगयी गलत कार्यवाही के कारण उक्त मुकदमें में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी उक्त अभियोग में गैंगलीडर नहीं है और अभियोजन कथानक के अनुसार रियाज सिद्दीकी उर्फ मुन्ना गैंग लीडर है और प्रार्थी को सामान्य रूप से गैंग का सदस्य होना कहा गया है। प्रार्थी जिला औरैया से काफी दूर जिला श्रावस्ती का रहने वाला है और उसका जनपद से किसी व्यक्ति से न सम्पर्क है और न ही प्रार्थी किसी गैंग का सदस्य है। प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त मुकदमें के ही पुलिस ने ही दोनो मुकदमें के अतिरिक्त एक अन्य मुकदमा धारा–25/27 आर्म्स एक्ट का गलत व फर्जी बनाया है जिसमें प्रार्थी की जमानत मंजूर हो चुकी है। प्रार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है और विवेचनाधिकारी ने प्रार्थी द्वारा गैंग के सदस्य के रूप में अर्जित किसी सम्पत्ति का विवरण नहीं दिया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई भी निष्पक्ष साक्षी जनता का नहीं है। प्रार्थी दिनांक 25.03.2024 से निरन्तर जिला कारागार इटावा में निरूद्ध है। प्रार्थी अपनी ओर से जमानत देने को तैयार है तथा दौरान विचारण मुकदमा जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त कथन करते हुये प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त गैंग का सदस्य है। अभियुक्त के जमानत पर छूटने के बाद पुनः अपराध करने की प्रबल सम्भावना है। जमानत का प्रबल विरोध है।

5– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैंग चार्ट में अभियुक्त के विरूद्ध निम्न वाद पंजीकृत हैं :–

<u>गैंगचार्ट</u>

(1) मुकदमा अपराध सं0–49/2024 धारा–363,364ए,302,201,1/34 भा0दं0सं0 थाना ऐरवाकटरा, जिला औरैया,

(2) मुकदमा अपराध सं0–52/2024 धारा–147,148,149,224,307,504 भारतीय दण्ड संहिता जिला औरैया, दर्ज होना बताया गया है।

<u>आपराधिक इतिहास</u>

(1) मुकदमा अपराध सं0–49/2024 धारा–363,364ए,302,201,1/34 भा0दं0सं0 थाना ऐरवाकटरा, जिला औरैया,

(2) मुकदमा अपराध सं0–52/2024 धारा–147,148,149,224,307,504 भारतीय दण्ड संहिता जिला औरैया, विचाराधीन होना बताया गया है।

6– मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये और धारा–19 (4)(ख) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपराधिक इतिहास जिसमें अभियुक्त के खिलाफ 02 मुकदमें दर्ज होना बताया गया है एवं गैंगचार्ट में अभियुक्त के खिलाफ 02 मुकदमें अंकित हैं, गैंगचार्ट एवं आपराधिक इतिहास में एक मामला धारा–302

भा0दं0सं0 का अंकित बताया गया है, उपरोक्त के दृष्टिगत प्रथम दृष्ट्या विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार नहीं है कि अभियुक्त ने गैंगचार्ट में दर्शित अपराध कारित न किये हों एवं प्रस्तुत आपराधिक इतिहास में दर्शित अपराध कारित न किये हो, और जमानत पर छूटने पर उसके द्वारा कोई अपराध कारित किये जाने की सम्भावना न हो। अभियुक्त को गैंग का सक्रिय सदस्य होना दर्शित है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अवधेश मिश्रा पुत्र दिनेश मिश्रा निवासी–भीखमपुर, दुलिहा शाहपुर, श्रावस्ती की ओर से मु0अ0सं0–97/2024 अन्तर्गत धारा–3(1) यू.पी. गैगेस्टर एक्ट थाना–ऐरवाकटरा, जिला–औरैया के अपराध में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–16.03.2026

(अतीक उद्दीन)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–प्रथम,
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, औरैया।
JO Code NO. UP 1533,